



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004
दूरभाष 0141-2256602 Email: gaduorjaipur@gmail.com

क्रमांक:—सा.प्र./110/2023/

दिनांक:

कार्यालय – आदेश

भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 प.व./1 दिनांक 8 जून 1957 के साथ पठित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राज्य विधान सभा के आम चुनाव में मतदान दिवस दिनांक 25.11.2023 (शनिवार) को राज्य के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्थित कार्यालयों में पराक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) 1881 के तहत मतदाताओं द्वारा मतदान देने हेतु अवकाश रहेगा, की निरन्तरता में कुलपति महोदया के आदेश दिनांक: 23.11.2023 की अनुपालना में राज्य विधानसभा के आम चुनाव में मतदान दिवस दिनांक: 25.11.2023 (शनिवार) को विश्वविद्यालय में अवकाश घोषित किया जाता है।

हो-
कुलसचिव

क्रमांक : सा.प्र./110/2023/23030-070
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

दिनांक : 24/11/23

1. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी अधिकारी/समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक इकाईयाँ, रा.वि.वि., जयपुर।
4. प्राचार्य, महाराजा/महारानी/कॉमर्स/राजस्थान विधि महाविद्यालय (प्रातः एवं सायं), रा.वि.वि., जयपुर।
5. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को पत्र प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार/परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।
7. मुख्य आवासाधिकारी/आवासाधिकारी/मुख्य कुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, रा.वि.वि., जयपुर।
9. विश्वविद्यालय अभियंता कार्यालय/उद्यान विभाग/विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र, रा.वि.वि., जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभागाधिकारी, रा.वि.वि., जयपुर।
13. विश्वविद्यालय प्रेस, रा.वि.वि., जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली

24/11/23
उप कुलसचिव (सा. प्र.)